फैक्स / ई-मेल

police commissionerate

संख्या- 396 पी /छः-पु-6-2021- 02 विविध /2020

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

गृह पुलिस अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2021

विषयः पुलिस जनपद कानपुर (नगर) एवं वाराणसी (नगर) में पुलिस आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- डीजी-1/28(1)/2020 (3) दिनांक 24 मार्च, 2021 तथा पत्र संख्या- डीजी-1/28(1)/2020 (3) दिनांक 24 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यत: निम्न तथ्यों से सूचित किया गया है :-

"---विगत वर्ष में लखनऊ (नगर) व गौतमबुद्व नगर जनपदों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की स्थापना की गई जिससे दोनों जनपदों में अपराध नियंत्रण की स्थिति एवं कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ व नागरिक सेवाएं सुदृढ हुई हैं। कानपुर (नगर) तथा वाराणसी में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वृद्धि तथा बदली हुई आपराधिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से निपटने के लिये आवश्यक हो गया है कि इन जनपदों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाये। ज्ञातव्य है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली की व्यवस्था दण्ड प्रक्रिया संहिता में दी गई है जो मूल रूप से 10 लाख से अधिक जनसँख्या के नगरों के लिए है।----"

उक्त तथ्यों व अन्य संगत विवरणों का उल्लेख करते हुए व संगत अभिलेख संलग्न करते हुए पुलिस आयुक्त प्रणाली का विस्तार अन्य बडे जनपदों में भी किये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए जनपद कानपुर (नगर) तथा वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव द्वारा सूचित किये गये तथ्यों, औचित्य व आवश्यकता आदि के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त पुलिस जनपद कानपुर (नगर) एवं वाराणसी (नगर) में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है व इसके प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नवत् अधिसूचनाएं निर्गत की जा रहीं हैं:-

क्र0सं0	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1.	संख्या- 391 पी/छः-पु-6-2021-01 विविध /2020 दिनांक 25 मार्च, 2021	वाराणसी जिला पुलिस का पुनर्गठन वाराणसी (नगर) के अधीन आने वाले पुलिस थाने वाराणसी (ग्रामीण) के अधीन आने वाले पुलिस थाने
2.	संख्या- 392 पी/छः-पु-6-2021-01 विविध /2020 दिनांक 25 मार्च, 2021	कानपुर (नगर) जिला पुलिस का पुनर्गठन कानपुर (नगर) के अधीन आने वाले पुलिस थानें कानपुर (आउटर) के अधीन आने वाले थानें

3.	संख्या- 393 पी/छः-पु-6-2021-01 विविध /2020 दिनांक 25 मार्च, 2021	कानपुर (नगर) और वाराणसी (नगर) पुलिस जिलों के लिए पुलिस आयुक्त के पदों का गठन
4.	संख्या- 394 पी/छः-पु-6-2021-01 विविध /2020 दिनांक 25 मार्च, 2021	कानपुर (नगर) और वाराणसी (नगर) पुलिस जिलों के क्षेत्र महानगरीय क्षेत्र अधिसूचित करना
5.	संख्या- 395 पी/छः-पु-6-2021-01 विविध /2020 दिनांक 25 मार्च, 2021	पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों तथा जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां व अन्य अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने

3- उक्त व्यवस्था में शामिल नगरों का शान्ति व कानून व्यवथा, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध नियंत्रण व यातायात प्रबन्धन आदि पर प्रत्येक 6 माह में समीक्षा की जायेगी एवं नयी व्यवस्था का मूल्यांकन किया जायेगा।

4- प्रकरण में अपेक्षित पदों प्रस्तावित समस्त नये पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे परामर्शी विभाग की सहमति से निर्गत किया जायेगा तथा इस मध्य उक्त व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत आवश्यक पदों को उपलब्ध जनशक्ति के समायोजन से पूरा किया जाये।

5- पुलिस जनपद वाराणसी (ग्रामीण) एवं कानपुर (आउटर) में वर्तमान पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था यथावत लागू रखा जायेगा। यह पुलिस अधीक्षक पूर्व व्यवस्था के अनुसार अपने उप महानिरीक्षक / महानिरीक्षक रेंज तथा अपर पुलिस महानिदेशक, जोन को रिर्पोट करेंगे।

6- उपरोक्त दोनों महानगरीय क्षेत्रों में भविष्य में सृजित होने वाले नगरीय क्षेत्र के थानों को तदनुसार सम्मिलित किया जायेगा।

7- कृपया उपरोक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में अनुपालन कार्यवाही समयबद्व रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 396 पी (1) /छः-पु-6-2021- 01 विविध /2020, तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा- प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय/ कार्मिक/ स्थापना/ प्रशासन/कानून-व्यवस्था/तकनीकी सेवाएं/ लाजिस्टिक/ पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड/ अभिसूचना/ ई0ओ0डब्लू0/ एस0टी0एफ0/ ए0टी0एस0/यू0पी0-100/ टेलीकाम/ विजिलेंस/ भ्र0नि0सं0/ विशेष जांच/ यातायात/ पी0ए0सी0/ एस0आई0टी0/ सी0बी0सी0आई0डी0/ रूल्स एंड मैनुअल/ मानवाधिकार/ जी0आर0पी0/फायर सर्विस/ सुरक्षा/ महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।**

4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ (नगर) / गौतमबुद्ध नगर।
5. **समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।**
6. **समस्त पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक (परिक्षेत्र) उत्तर प्रदेश।** एवं समस्त SSP's /SP's
7. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निजी सचिव, सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
10. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
11. वित्त ई 12, उ0प्र0शासन।
12. गृह /गोपन/ सतर्कता विभाग, उ0प्र0शासन के समस्त अनुभाग।
13. मीडिया सेल, गृह विभाग।
14. **गृह नियंत्रण कक्ष,** उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबधित को ई-मेल/ फैक्स कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड बुक/ संबंधित स0अ0।

आज्ञा से,

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 391 पी/छ:-पु-6-2021-01 विविध/2020

लखनऊ: 25 मार्च, 2021

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का उपान्तरण करके राज्यपाल, निदेश देती हैं कि वाराणसी जिला पुलिस का पुनर्गठन, इस अधिसूचना के गज़ट मे प्रकाशित किए जाने के दिनांक से नीचे यथा उल्लिखित विवरण वाले पुलिस थानों सहित दो पुलिस जिलों यथा वाराणसी (नगर) और वाराणसी (ग्रामीण) के रूप मे किया जाएगा।

वाराणसी (नगर) के अधीन आने वाले पुलिस थाने	
1. कोतवाली	10. छावनी
2. आदमपुर	11. शिवपुर
3. राम नगर	12. सारनाथ
4. भेलूपुर	13. लालपुर-पांडेपुर
5. लंका	14. दशाश्वमेध
6. माडुवाडीह	15. चौक
7. चेतगंज	16. लक्सा
8. जैतपुरा	17. पर्यटक
9. सिगरा	18. महिला थाना

वाराणसी (ग्रामीण) के अधीन आने वाले पुलिस थाने	
1. रोहनिया	6. कापसेठी
2. जंसा	7. चौबेपुर
3. लोहता	8. चोलापुर
4. बड़ागाँव	9. फूलपुर
5. मिर्जामुराद	10. सिंधौरा

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Grih (Police) Anubhag-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 391 p/vi-pu-6-2021-01vividh /2020 dated March 25 2021:

Notification

No. 391 p/vi-pu-6-2021-01Vividh / 2020

Lucknow : Dated March 25 2021

In exercise of the powers under section 2 of the Police Act, 1861(Act No. 5 of 1861) read with section 21 of the General Clauses Act , 1897 (Act No. 10 of 1897) and in modification of earlier notifications issued in this behalf the Governor is pleased to direct that Varanasi police district shall be reconstituted as two police districts as Varanasi (Nagar) and Varanasi (Rural) containing the police stations whose details are as given below from the date of publication of this notification in the Gazette.

Police Stations falling under Varanasi (Nagar)	
1. Kotwali	10. Cantt
2. Adampur	11. Shivpur
3. Ram Nagar	12. Sarnath
4. Bhelupur	13. Lalpur-Pandeypur
5. Lanka	14. Dashashwamedh
6. Manduadeeh	15. Chauk
7. Chetganj	16. Laxsa
8. Jaitpura	17. Paryatak
9. Sigra	18. Mahila Thana

Police Stations falling under Varanasi (Rural)	
1. Rohaniya	6. Kapsethi
2. Jansa	7. Chaubeypur
3. Lohta	8. Cholapur
4. Badagaon	9. Fulpur
5. Mirzamurad	10. Sindhaura

By Order,

(Awanish Kumar Awasthi)

Additional Chief Secretary.

Uttar Pradesh Shasan

Grih (Police) Anubhag-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 392 p/vi-pu-6-2021-01vividh /2020 dated March 25 2021:

Notification

No. 392 p/vi-pu-6-2021-01Vividh / 2020

Lucknow : Dated March 25. 2021

In exercise of the powers under section 2 of the Police Act, 1861(Act No. 5 of 1861) read with section 21 of the General Clauses Act , 1897 (Act No. 10 of 1897) and in modification of earlier notifications issued in this behalf the Governor is pleased to direct that Kanpur (Nagar) police district shall be reconstituted as two police districts as Kanpur (Nagar) and Kanpur (Outer) containing the police stations whose details are as given below from the date of publication of this notification in the Gazette.

Police Stations falling under Kanpur (Nagar)		
1. Kotwali	13. Karnal Ganj	25. Babu Purwa
2. Feelkhana	14. Gwal Toli	26. Juhi
3. Mulganj	15. Kohna	27. Kidwai Nagar
4. Collectorganj	16. Sisamau	28. Govind Nagar
5. Harvansh Mohal	17. Bajariya	29. Naubasta
6. Badshahi Naka	18. Chaman Ganj	30. Barra
7. Anwar Ganj	19. Swarup Nagar	31. Nazirabad
8. Raipurwa	20. Nawab Ganj	32. Fazal Ganj
9. Bekan Ganj	21. Kakadeo	33. Armapur
10. Cantt	22. Kalyanpur	34. Mahila Thana
11. Rail Bazar	23. Panki	
12. Chakeri	24. Bithoor	

Police Stations falling under Kanpur (Outer)	
1. Maharajpur	7. Shivrajpur
2. Narwal	8. Ghatampur
3. Sachendi	9. Saad
4. Bilhaur	10. Sajeti
5. Kakwan	11. Bidhnoo
6. Chaubeypur	

By Order,

(Awanish Kumar Awasthi)

Additional Chief Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 392 पी/छः-पु-6-2021-01 विविध/2020

लखनऊ: 25 मार्च, 2021

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का उपान्तरण करके राज्यपाल, निदेश देती हैं कि कानपुर (नगर) जिला पुलिस का पुनर्गठन, इस अधिसूचना के गज़ट मे प्रकाशित किए जाने के दिनांक से नीचे यथा उल्लिखित विवरण वाले पुलिस थानों सहित दो पुलिस जिलों यथा कानपुर (नगर) और कानपुर (आउटर) के रूप मे किया जाएगा।

कानपुर (नगर) के अधीन आने वाले पुलिस थानें		
1. कोतवाली	13. कर्नल गंज	25. बाबू पुरवा
2. फीलखाना	14. ग्वाल टोली	26. जूही
3. मूलगंज	15. कोहना	27. किदवई नगर
4. कलेक्टरगंज	16. सीसामऊ	28. गोविंद नगर
5. हरवंश मोहाल	17. बजरिया	29. नौवस्ता
6. बादशाही नाका	18. चमन गंज	30. बर्रा
7. अनवर गंज	19. स्वरूप नगर	31. नजीराबाद
8. रायपुरवा	20. नवाब गंज	32. फजल गंज
9. बेकन गंज	21. काकादेव	33. अर्मापुर
10. छावनी	22. कल्यानपुर	34. महिला थाना
11. रेल बाजार	23. पनकी	
12. चकेरी	24. बिठूर	

कानपुर (आउटर) के अधीन आने वाले थानें	
1. महाराजपुर	7. शिवराजपुर
2. नर्वल	8. घाटमपुर
3. सचेण्डी	9. साढ़
4. बिल्हौर	10. मजेती
5. ककवन	11. बिधनू
6. चौबेपुर	

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Grih (Police) Anubhag-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 393 p/vi-pu-6-2021-01vividh/2020 dated March 25 2021:

Notification

No. 393 p/vi-pu-6-2021-01vividh/ 2020

Lucknow : Dated March, 25 2021

In exercise of the powers under Section 2 of the Police Act, 1861 (Act No. 5 of 1861) the Governor is pleased to constitute the offices of Police Commissioners for the police districts of Kanpur (Nagar) and Varanasi Nagar with the officers mentioned in Schedule-I and Schedule-II respectively.

Schedule-I

Posts of Gazetted Officers for Kanpur (Nagar)

Designation	Rank	Pay-Matrix Level	Description	Proposed Posts	Available Posts	Required Posts
Commissioner of Police	Inspector General of Police or Higher Rank	14 (Rs. 1,44,200-2,18,200) Or 15 (Rs. 1,82, 200- 2,24,100)		1	0	1
Additional Commissioner of Police	Deputy Inspector General of Police	13A (Rs. 1,31,100-2,16,600)	Law & Order	1	0	1
Additional Commissioner of Police	Deputy Inspector General of Police	13A (Rs. 1,31,100-2,16,600)	Head Quarters/ Crime	1	0	1
Deputy Commissioner of Police	Superintendent of Police	12 (Rs. 78,800 – 2,09,200)	Zone	3	0	3
			Traffic	1	0	1
			Crime	1	0	1
			Head Quarters	1	0	1
			Total	6	0	6

Additional Deputy Commissioner of Police	Additional Superintendent of Police	11 (Rs. 69,400-1,36,900)	Staff Officer	1	0	1
			Zone	3	3	0
			Traffic	1	1	0
			Crime	1	1	0
			Crime Against Women	1	0	1
			Head Quarters	1	0	1
			Intelligence	1	0	1
			Total	9	5	4
Assistant Commissioner of Police	Deputy Superintendent of Police	10 (Rs. 56,100 -1,77,500)	Circle	11	11	0
			Traffic	2	1	1
			Special Crime	1	0	1
			EOW/ Cyber Crime	1	0	1
			Crime Against Women	1	0	1
			Lines	1	0	1
			Office	1	0	1
			Intelligence	1	1	0
			Licensing	1	0	1
			Total	20	13	7
Assistant Radio Officer	Assistant Radio Officer	10 (Rs. 56,100 -1,77,500)		1	1	0
Chief Fire Officer	Chief Fire Officer	10 (Rs. 56,100 -1,77,500)		1	1	0
			Grand Total	40	20	20

Schedule-II

Posts of Gazetted Officers for Varanasi (City)

Designation	Rank	Pay-Matrix Level	Description	Proposed Posts	Available Posts	Required Posts
Commissioner	Inspector General	14 (Rs. 1,44,200-2,18,200) or		1	0	1

of Police	of Police or Higher Rank	15 (Rs. 1,82, 200- 2,24,100)				
Additional Commissioner of Police	Deputy Inspector General of Police	13A (Rs. 1,31,100-2,16,600)	Law & Order	1	0	1
Additional Commissioner of Police	Deputy Inspector General of Police	13A (Rs. 1,31,100-2,16,600)	Head Quarters/ Crime	1	0	1
Deputy Commissioner of Police	Superintendent of Police	12 (Rs. 78,800 – 2,09,200)	Zone	2	0	2
			Traffic	1	0	1
			Crime	1	0	1
			Intelligence & Security	1	0	1
			Total	5	0	5
Additional Deputy Commissioner of Police	Additional Superintendent of Police	11 (Rs. 69,400-1,36,900)	Staff Officer	1	0	1
			Zone	2	1	1
			Traffic	1	1	0
			Crime	1	1	0
			Crime Against Women	1	0	1
			Head Quarters	1	0	1
			Protocol	1	1	0
			Intelligence	1	0	1
			Security	1	1	0
			Total	10	5	5
Assistant Commissioner of Police	Deputy Superintendent of Police	10 (Rs. 56,100 -1,77,500)	Circle	6	5	1
			Traffic	1	1	0
			Special Crime	1	0	1
			EOW/ Cyber Crime	1	0	1
			Crime Against	1	0	1

4

			Women			
			Lines	1	0	1
			Office	1	0	1
			Intelligence	1	1	0
			Security	3	3	0
			Total	16	10	6
Assistant Radio Officer	Assistant Radio Officer	10 (Rs. 56,100 -1,77,500)		1	1	0
Chief Fire Officer	Chief Fire Officer	10 (Rs. 56,100 -1,77,500)		1	1	0
			Grand Total	36	17	19

By Order,

(Awanish Kumar Awasthi)
Additional Chief Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 393 पी/छ:-पु-6-2021-01 विविध/2020

लखनऊ: 25 मार्च, 2021

अधिसूचना

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन 1861) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्रमशः नीचे अनुसूची-एक और अनुसूची-दो में उल्लिखित अधिकारियों सहित कानपुर (नगर) और वाराणसी (नगर) पुलिस जिलों के लिए पुलिस आयुक्त के पदों का गठन करती हैं।

अनुसूची-एक

कानपुर (नगर) के लिए राजपत्रित अधिकारियों के पद

पदनाम	रैंक	पे-मैट्रिक्स-लेवल	विवरण	प्रस्तावित संख्या	उपलब्ध संख्या	अपेक्षित पद
पुलिस आयुक्त	पुलिस महानिरीक्षक या उच्चतर रैंक	14 (रु 1,44,200-2,18,200) अथवा 15 (रु 1,82, 200-2,24,100)		1	0	1
अपर पुलिस आयुक्त	पुलिस उपमहानिरीक्षक	13क (रु 1,31,100-2,16,600)	कानून-व्यवस्था	1	0	1
अपर पुलिस आयुक्त	पुलिस उपमहानिरीक्षक	13क (रु 1,31,100-2,16,600)	मुख्यालय/ अपराध	1	0	1
पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक	12 (रु 78,800 – 2,09,200)	जोन	3	0	3
			यातायात	1	0	1
			अपराध	1	0	1
			मुख्यालय	1	0	1
			योग	**6**	0	**6**
अपर पुलिस उपायुक्त	अपर पुलिस अधीक्षक	11 (रु 69,400-1,36,900)	स्टाफ आफिसर	1	0	1
			जोन	3	3	0
			यातायात	1	1	0
			अपराध	1	1	0

			महिला अपराध	1	0	1
			मुख्यालय	1	0	1
			अभिसूचना	1	0	1
			योग	**9**	**5**	**4**
सहायक पुलिस आयुक्त	पुलिस उपाधीक्षक	10 (रु 56,100 -1,77,500)	सर्किल	11	11	0
			यातायात	2	1	1
			विशेष अपराध	1	0	1
			EOW/ साइबर अपराध	1	0	1
			महिला अपराध	1	0	1
			लाइन्स	1	0	1
			कार्यालय	1	0	1
			अभिसूचना	1	1	0
			लाइसेंसिंग	1	0	1
			योग	**20**	**13**	**7**
सहायक रेडियो अधिकारी	सहायक रेडियो अधिकारी	10 (रु 56,100 -1,77,500)		1	1	0
मुख्य अग्निशमन अधिकारी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	10 (रु 56,100 -1,77,500)		1	1	0
			कुल योग	**40**	**20**	**20**

अनुसूची-दो

वाराणसी (नगर) के लिए राजपत्रित अधिकारियों के पद

पदनाम	रैंक	पे-मैट्रिक्स-लेवल	विवरण	प्रस्तावित संख्या	उपलब्ध संख्या	अपेक्षित पद
पुलिस आयुक्त	पुलिस महानिरीक्षक या उच्चतर रैंक	14 (रु 1,44,200-2,18,200) अथवा 15 (रु 1,82, 200-		1	0	1

		2,24,100)				
अपर पुलिस आयुक्त	पुलिस उपमहानिरीक्षक	13क (रु 1,31,100-2,16,600)	कानून-व्यवस्था	1	0	1
अपर पुलिस आयुक्त	पुलिस उपमहानिरीक्षक	13क (रु 1,31,100-2,16,600)	मुख्यालय/ अपराध	1	0	1
पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक	12 (रु 78,800 – 2,09,200)	जोन	2	0	2
			यातायात	1	0	1
			अपराध	1	0	1
			अभिसूचना व सुरक्षा	1	0	1
			योग	**5**	**0**	**5**
अपर पुलिस उपायुक्त	अपर पुलिस अधीक्षक	11 (रु 69,400-1,36,900)	स्टाफ आफिसर	1	0	1
			जोन	2	1	1
			यातायात	1	1	0
			अपराध	1	1	0
			महिला अपराध	1	0	1
			मुख्यालय	1	0	1
			प्रोटोकॉल	1	1	0
			अभिसूचना	1	0	1
			सुरक्षा	1	1	0
			योग	**10**	**5**	**5**
सहायक पुलिस आयुक्त	पुलिस उपाधीक्षक	10 (रु 56,100 -1,77,500)	सर्किल	6	5	1
			यातायात	1	1	0
			विशेष अपराध	1	0	1
			EOW/ साइबर अपराध	1	0	1
			महिला अपराध	1	0	1

			लाइन्स	1	0	1
			कार्यालय	1	0	1
			अभिसूचना	1	1	0
			सुरक्षा	3	3	0
			योग	**16**	**10**	**6**
सहायक रेडियो अधिकारी	सहायक रेडियो अधिकारी	10 (रु 56,100 -1,77,500)		1	1	0
मुख्य अग्निशमन अधिकारी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	10 (रु 56,100 -1,77,500)		1	1	0
			कुल योग	**36**	**17**	**19**

आज्ञा मे,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव ।

Uttar Pradesh Shasan

Grih (Police) Anubhag-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 394 p/vi-pu-6-2021-01vividh /2020 dated March, 25 2021:

Notification

No. 394 p/vi-pu-6-2020-01vividh/ 2020

Lucknow : Dated March, 25. 2021

In exercise of powers conferred under section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to declare that the areas of Kanpur (Nagar) and Varanasi (Nagar) Police Districts shall be Metropolitan Areas, from the date of publication of this notification in the Gazette.

By Order,

(Awanish Kumar Awasthi)

Additional Chief Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 394 पी/छः-पु-6-2021-01 विविध/2020

लखनऊ: 25 मार्च, 2021

<u>अधिसूचना</u>

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन 1974) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि कानपुर (नगर) और वाराणसी (नगर) पुलिस जिलों के क्षेत्र, इस अधिसूचना के गज़ट मे प्रकाशित किया जाने के दिनांक से महानगरीय क्षेत्र होंगे।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 395 पी/छः-पु-6-2021-01 विविध /2020

लखनऊ: 25 मार्च, 2021

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के संबंध में पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां तथा जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन राज्यपाल अग्रतर आदेशों तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या दो सन् 1974) की धारा-58, अध्याय आठ तथा अध्याय दस के अधीन प्रयोजनों के लिए कानपुर (नगर) और वाराणसी (नगर) में तैनात पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त,अपर उप पुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां प्रदत्त करती हैं।

अनुसूची

1. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970
2. विष अधिनियम, 1919
3. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
4. पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922
5. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
6. विस्फोटक अधिनियम, 1884
7. कारागार अधिनियम, 1894
8. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
9. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946
10. गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967
11. पुलिस अधिनियम, 1861
12. उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944
13. उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005
14. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Grih Police Anubhag-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 395 p/vi-pu-6-2021-01vividh /2020 dated March 25, 2021:

Notification

No. 395 p/vi-pu-6-2021-01vividh/ 2020

Lucknow : Dated March 25 2021

In exercise of the powers under section 20 of the Code of Criminal Procedure,1973 (Act No. 2 of 1974), the Governor is pleased to confer on the Commissioner of Police the powers of Executive Magistrate and Additional District Magistrate and with the powers of District Magistrate with respect to the Acts mentioned in the Schedule below.

Under section 21 of the said Act, the Governor is further pleased to confer on the Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, the Additional Commissioner of Police, the Deputy Commissioner of Police, the Additional Deputy Commissioner of Police and the Assistant Commissioner of police posted in Kanpur (City) and Varanasi (Nagar) the powers of executive magistrates for the purposes under sections 58, Chapter VIII and Chapter X of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974), till further orders.

Schedule

1) The Uttar Pradesh Control of Goonda Act, 1970
2) Poisons Act , 1919
3) Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956
4) Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922
5) Prevention to Cruelty to Animals Act, 1960
6) Explosives Act, 1884
7) Prisons Act, 1894
8) Official Secrets Act, 1923

9) Foreigners Act, 1946

10) Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

11) Police Act, 1861

12) Uttar Pradesh Fire Services Act, 1944

13) Uttar Pradesh Fire prevention and Fire Safety Act, 2005

14) Uttar Pradesh Gangster and Anti-social Activities (Prevention) Act, 1986

By Order,

(Awanish Kumar Awasthi)

Additional Chief Secretary